पुलिस अधीक्षक जनपद आजमगढ़

सी.यू.जी. – 9454400250, दूरभाष- 05462-260403, ई-मेल- spazh-up@nic.in

पत्र संख्या- 253/2024

प्रेस-नोट, जनपद आजमगढ़

दिनांक- 17.08.2024

हेमराज मीना, पुलिस अधीक्षक, आजमगढ़ के निर्देशन में अपराध व अपराधियों पर अंकुश एवं प्रभावी नियन्त्रण बनाये रखने हेतु आज दिनांक 16.08.2024 को जनपद आजमगढ़ से निम्न कार्यवाही की गयीः-

01- थाना निजामाबादः अवैध शस्त्र व चोरी की मोटर साईकल के साथ के 02 अभियुक्त गिरफ्तार

अवगत कराना है कि पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ द्वारा अवैध असलहा रखने व बिक्री करने वाले अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में दिनांक आज दिनांक 17.08.2024 को उ0नि0 रंजय कुमार सिंह, उ0नि0 कमला पटेल, उ0नि0 सुधीर पाण्डेय, उ0नि0 उमेश कुमार सिंह मय हमराह द्वारा दतात्रेय मन्दिर के पास से अभियुक्तों 1- करण उर्फ कुम्भकरण पुत्र दीनदयाल निवासी बजीरमल पुर थाना निजामाबाद जनपद आजमगढ़ उम्र 19 वर्ष, व 2- जीतेन्द्र पुत्र बुद्धिराम निवासी वजीरमल पुर थाना निजामाबाद जनपद आजमगढ़ उम्र 31 वर्ष को **01 चोरी की मोटर साइकिल के साथ तथा अभियुक्त जितेन्द्र को 01 देशी तमंचा और 01 जिन्दा कारतुस 315 बोर** के साथ **समय करीब 04:35 बजे** गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर थाना स्थानीय पर **मु0अ0सं0- 405/24 धारा 317(2), 317(4), 338, 336(3) बी0 एन0 एस0 व 3/25 आर्म्स एक्ट** पंजीकृत कर गिरफ्तार अभियुक्तों का चालान माननीय न्यायालय किया गया।

पंजीकृत अभियोग- मु0अ0सं0- 405/24 धारा 317(2), 317(4), 338, 336(3) बी0 एन0 एस0 व 3/25 आर्म्स एक्ट थाना निजामाबाद आजमगढ़।

गिरफ्तार अभियुक्त-

1. करण उर्फ कुम्भकरण पुत्र दीनदयाल निवासी बजीरमल पुर थाना निजामाबाद जनपद आजमगढ़
2. जीतेन्द्र पुत्र बुद्धिराम निवासी वजीरमल पुर थाना निजामाबाद जनपद आजमगढ़।

बरामदगी- 01 देशी तमन्चा व 01 जिन्दा कारतुस 315 बोर, 01 सप्लेन्डर प्लस मोटर साइकिल (चोरी की)

गिरफ्तार करने वाली टीम- उ0नि0 रंजय कुमार सिंह, उ0नि0 कमला पटेल, उ0नि0 सुधीर पाण्डेय, उ0नि0 उमेश कुमार सिंह, मु0आ0 सुनील कुमार यादव, मु0आ0 पिन्टु कुमार, का0 सुमित सिंह, का0 विक्रान्त विश्वकर्मा थाना निजामाबाद आजगमढ़।

02-थाना- जीयनपुर: किशोरी को भगाने वाला अभियुक्त गिरफ्तार

पूर्व की घटना– दिनांक 07-08-2024 को वादिनी मुकदमा थाना जीयनपुर जनपद आजमगढ़ द्वारा थाना स्थानीय पर प्रा0 पत्र दिया गया कि वादिनी की पुत्री दोपहर 3.00 बजे (लगभग) कोचिगं पढ़ने के लिए बाजार गोसाई (बाबा की बाजार) के लिए निकली थी परन्तु देर रात तक न लौटने पर काफी खौज बीन किया गया, परन्तु पता नही चला। जिसके सम्बन्ध में थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0- 360/2024 धारा 137(2)भारतीय न्याय संहिता (बी.एन.एस) 2023 पंजीकृत किया गया तथा विवेचना उ0नि0 हरीश कुमार शुक्ला द्वारा की जा रही है । दौरान विवेचना साक्ष्य संकलन एवं अपहृता के बयान के आधार पर उक्त मुकदमे अभियुक्त दीपांशु उर्फ शेरू पुत्र अवधेश निवासी हमीरपुर रुस्तमपुर थाना घोसी जनपद मऊ उम्र करीब 20 वर्ष को नाम प्रकाश में आया तथा धारा 65(1) BNS व 4(2) पोक्सो एक्ट की बढ़ोत्तरी की गयी ।
गिरफ्तारी का विवरण– पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ द्वारा वांछित/वारण्टी अभियुक्तो की गिरफ्तारी हेतु चलाये गये अभिय़ान के क्रम में आज दिनांक- 17/08/2024 को उ0नि0 हरीश शुक्ला मय हमराह द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित अभियुक्त दीपांशु उर्फ शेरू पुत्र अवधेश निवासी हमीरपुर रुस्तमपुर थाना घोसी जनपद मऊ उम्र करीब 20 वर्ष को आंखेपुर बाजार के पास से समय करीब 11.25 बजे गिरफ्तार कर चालान मा0 न्यायालय किया गया।
गिरफ्तार अभियुक्त- दीपांशु उर्फ शेरू पुत्र अवधेश निवासी हमीरपुर रुस्तमपुर थाना घोसी जनपद मऊ उम्र करीब 20 वर्ष।
पंजीकृत अभियोग- मु0अ0सं0 360/2024 धारा 137(2)/65(1) भारतीय न्याय संहिता (बी.एन.एस) 2023 व 4(2) पोक्सो एक्ट थाना जीयनपुर जनपद आजमगढ़।
गिरफ्तारी करने वाली टीम- उ0नि0 हरीश कुमार शुक्ल, का0 जितेन्द्र यादव थाना जीयनपुर जनपद आजमगढ़।